



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244590
CG-DL-E-22032023-244590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1312]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945

No. 1312]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

का.आ. 1365(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5092 (अ) तारीख 02.11.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 02.11.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-347B के कि.मी. 0+000 से 34+560 कि.मी. तक (ठीकरी से अंजड़ मार्ग) (तहसील-अंजड़ बस ले) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (2-लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "फ्री प्रेस" में मंगलवार 03 जनवरी 2023 और "पीपुल्स समाचार" में मंगलवार 03 जनवरी 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-347B के कि.मी. 0+000 से 34+560 कि.मी. तक (ठीकरी से अंजड़ मार्ग) (तहसील-अंजड़ बस ले) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम : मध्य प्रदेश		जिले का नाम : बड़वानी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अंजड़				
	गांव का नाम: फत्यापुर				
1	104 / 1	निजी	सिंचित	0.003	पन्नालाल पिता दुदा जाति सिर्वी पता फत्यापुर अंजड़, बड़वानी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१०४/१)
2	107 / 1	निजी	सिंचित	0.049	बद्री पिता लिम्बा जाति सिर्वी पता अंजड़, बड़वानी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, बद्री पिता लिम्बा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (१०७/१)
			कुल	0.052	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/06/2017-18/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

S.O. 1365(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5092(E) dated 02.11.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Two-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of **NH-347B** on the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 34+560 in (Thikri to Anjad-Road) (Tehsil-Anjad Bus-Lay) in the District of **Barwani**, in the state of **MADHYA PRADESH**;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Free Press” 03 January 2023 Tuesday; And “Pipuls Samachar” 03 January 2023 Tuesday; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 0+000 to 34+560 km. in **(Thikri to Anjad-Road) (Tehsil-Anjad Bus-Lay)** of the National Highway no. **NH-347B** in the district of **Barwani**, in the state of **MADHYA PRADESH**.

State: MADHYA PRADESH			District: BARWANI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Anjad				
	Village: Fatyapur				
1	104 / 1	Private	Irrigated	0.003	Pannalal father Duda Caste Sirvi Address Fatyapur Anjad, Barwani Madhya Pradesh Land Owner 104/1
2	107 / 1	Private	Irrigated	0.049	Badri Father Limba Caste Sirvi Address Anjad, Barwani Madhya Pradesh Land Owner, Badri father Limba Address Resident Village Land Owner 107/1
			TOTAL	0.052	

[F. No. CE-RO BPL/30010/06/2017-18/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.